banks. RBl is seized of the matter of drawing up detailed proposals in this regard.

Shareholdings of promoters in companies taken over

1092. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) what is the percentage of shareholding of the promoters Vijay Mallya in Best Crompton; R. P. Goenka in Remington Rand and Calcutta Electric Supply Corporation; Tata in ACC and Ruias in S. I. Shipping, the companies which have recently been taken over by Government;

(b) what were the sources of funds used by these promoters to purchase equity in these companies;

(c) whether the financial institutions had any role in aiding such takeovers;

(d) if so, the detail's thereof; and

(e) whether factors such as existing cases under the Income Tax, Wealth Tax, FERA or MRTP against IheSe individuals or their companies were taken into consideration while judging the merits to takeover new companies in which they required shares?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित पड़े हुए रुग्ण उद्योगों के मामले

@1093. डा० अबरार अहमद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन इस समय रुग्ण उद्योगों के कितने मामले विचाराधीन हैं तथा प्रत्येक मामला कब से विचाराधीन है;

(ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के गठन से लेकर आज तक इसने रुग्ण उद्योगों के कितने मामलों का निर्णय किया है और उनमें से कितने उद्योगों को पुनः प्रारम्भ किया गया है;

(ग) क्या रुग्ण उद्योग के कर्मचारियों को उस अवधि के दौरान वेतन देने का कोई प्रावधान अथवा व्यवस्था है जब तक उसका मामला विचाराधीन रहता है यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी का मामला किस अवस्था में है और इसका निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31-10-91 की स्थिति के अनुसार दर्ज किए गए 1080 मामलों में से 1068 मामले पीठों को सौंप दिए गए थे। इनमें से 347 मामलों में योजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृति/ के साथ-साथ 688 मामले निपटा दिए गए हैं। 107 मामले अंतिम चरणों में हैं और 36 मामले असफल/अनुमोदित/ स्वीकृत योजना अथवा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण द्वारा वापस किए गए अथवा अन्य अदालतों में लंबित होने के कारण पुनः आरंभ किए गए मामलों की श्रेणी में आते हैं। बाकी बचे कुल 237 मामलों में से, जिनकी जांच विभिन्न चरणों में है, 1987 में 6, 1988 में 5, 1989 में 44, 1990 में 88 और 1991 में अक्टूबर तक 94 मामले दर्ज किए गए।

(क) चालू एककों के मामलों में प्रबंधन सामान्यतः प्रचालन के दौरान कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करती

@पूर्वतः अंतारांकित प्रश्न 752, 28 नवम्बर, 1991 से स्थानांतरित ।

है। उन एककों के संबंध में, जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन हैं और काफी लम्बे अरसे से बंद पड़े हैं कम्पनियों को चाहिए कि वे प्रत्येक मामले के आधार पर, कर्मकारों को थोड़ा भुगतान करने की व्यवस्था करें जो अर्थक्षम पुनरूद्धार पैकेज तैयार करने की संभावनाओं पर निर्भर करेगा। कुछ मामलों में, एकक को पुनः खोलने और रोजगार दोबारा प्राप्त करने के प्रयोजन से कर्मचारी भी बंदी की अवधि के वेतन को छोड़ने के लिए सहमत हो सकते हैं। तथापि, इन मामलों में एक समान व्यवस्था नहीं है।

(घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि जयपुर उद्योग लि० (जिसकी सवाई माधोपुर में एक सीमेंट फैक्टरी है) से संबंधित मामले के संबंध में परिचालन ए जेंसी अर्थात भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की रिपोर्ट बोर्ड को प्राप्त हो गई है और इस मामले को रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशष उपबंध अधिनियम) 1985 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

H.R.A, to central Government employees working in Goa

@1094. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that costs of living in the Union Territory of Goa is comparatively high;

(b) whether Central Government Employees working in Goa have submitted any memorandum for increase of H.R.A. as a special case;

(c) whether Government are also aware that Government of Goa have given special higher rate of H.R.A, to it$_s$ comployees; and

(d) what action Government propose *to* take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FNANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) to (d) Rates for the grant of House Rent Allowance to the Cenral Govt. employees depend upon population of the city irrespective of the costliness or otherwise of a particular city. The cities are classified for the purpose of grant of HRA with reference *to* their population as given below:—

Population of City	Classification
Over 16 lakhs	A Class.
Over 8 lakhs but not exceeding 16 lakhs.	B-1 class.
Over 4 lakhs but not exceeding 8 lakhs.	B-2 class.
Over 50 thousand but not exceeding 4 lakhs.	C class.
50 thousand or below	unclassified.

Except Margao and Marmugao, no other city in the State of Goa qualifies for classification as "C class city for the purpose of House Rent Allowance. However, HRA at 'C Class rate is being paid in the entire State of Goa in relaxation of rules since its liberation. No further relaxation is possible.

The Central Govt. has its own policy for classification of cities [towns for the purpose of HRA which is uniformly applicable throughout the country. The Central Govt. does not follow the orders of the State Governments in his regard.

@ Previously Unstarred Question 782 transferred from the 28th November, 1991.